



संख्या-109/2026/1000/सैंतीस-2-2026/001-1(49)/07-94931

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास,  
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-13 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-102/प.-2/22/1/4/डी.एफ.एस./एल.डी.बी./2026-27, दिनांक-10.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्थापित 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों यथा-रहमानखेड़ा (लखनऊ), मंझरा (खीरी) एवं बाबूगढ़ (हापुड़) के संचालनार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-13-अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि ₹0-1600.00 लाख (रूपये सोलह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

| मानक मद                                            | स्वीकृत धनराशि (लाख में) |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 02-मजदूरी                                          | 75.00                    |
| 08-कार्यालय व्यय                                   | 122.50                   |
| 09-विद्युत देय                                     | 88.65                    |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई                 | 1.35                     |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण                      | 4.00                     |
| 13-टेलीफोन पर व्यय                                 | 1.00                     |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद    | 19.00                    |
| 29-अनुरक्षण                                        | 45.00                    |
| 39-औषधि तथा रसायन                                  | 160.00                   |
| 42-अन्य व्यय                                       | 110.00                   |
| 43-सामग्री एवं सम्पूति                             | 850.00                   |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 3.50                     |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान                 | 120.00                   |
| <b>योग-</b>                                        | <b>1600.00</b>           |

(रूपये सोलह करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
5. विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
6. यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
7. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
8. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0 का होगा।
10. निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।
11. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु किया जायेगा।
12. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

13. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक: 2403001021300 (अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र )**

|    | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक                                       | मानक मद                                           | प्रस्तावित धनराशि                                          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 02<br>मजदूरी                                      | 75,00,000<br>( रुपये पचहत्तर लाख मात्र )                   |
| 2  | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 08<br>कार्यालय व्यय                               | 1,22,50,000<br>( रुपये एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार मात्र ) |
| 3  | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 09<br>विद्युत देय                                 | 88,65,000<br>( रुपये अट्ठासी लाख पैंसठ हजार मात्र )        |
| 4  | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 11<br>लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई             | 1,35,000<br>( रुपये एक लाख पैंतीस हजार मात्र )             |
| 5  | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण                  | 4,00,000<br>( रुपये चार लाख मात्र )                        |
| 6  | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 13<br>टेलीफोन पर व्यय                             | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र )                         |
| 7  | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 15<br>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 19,00,000<br>( रुपये उन्नीस लाख मात्र )                    |
| 8  | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 29<br>अनुरक्षण                                    | 45,00,000<br>( रुपये पैंतालीस लाख मात्र )                  |
| 9  | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 39<br>औषधि तथा रसायन                              | 1,60,00,000<br>( रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र )            |
| 10 | 015           | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 42<br>अन्य व्यय                                   | 1,10,00,000<br>( रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र )             |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

|    |            |                                                   |                                                          | मात्र )                                           |
|----|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 11 | 015        | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 43<br>सामग्री एवं सम्पूर्ति                              | 8,50,00,000<br>( रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र )  |
| 12 | 015        | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 47<br>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी<br>स्टेशनरी का क्रय | 3,50,000<br>( रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र )     |
| 13 | 015        | 2403001021300<br>अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र | 58<br>आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु<br>भुगतान                 | 1,20,00,000<br>( रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र )   |
|    | <b>कुल</b> |                                                   |                                                          | <b>16,00,00,000</b><br>( रुपये सोलह करोड़ मात्र ) |

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>महायोग</b> | <b>16,00,00,000</b><br>( रुपये सोलह करोड़ मात्र ) |
|---------------|---------------------------------------------------|

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)  
विशेष सचिव।

पू0सं0-109/2026/1000(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(49)/07-94931, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।